न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 10/25 (अपील)

GCMS No. : 2025/636

अनवान्

1. गटूराम डांगी पिता परथा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बदामीबाई पत्नी माना गडरिया (गाडरी), उम्र 33 वर्ष, निवासी 373 गारियावास घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. नाबालिग काजल पुत्री माना संरक्षक माता श्रीमती बदामीबाई पत्नी माना गडरिया (गाडरी), उम्र 33 वर्ष, निवासी 373 गारियावास घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित—1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट्।
2. श्री लाजवंती जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. नामरी, बाबत ना. सं. 2258 दि. 09.10.2025

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 27.11.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा घणोली, पटवार मण्डल नामरी, तहसील मावली में स्थित खाता संख्या 430 नयी की आराजी नम्बर 1228, 2481/1243, 544, 548, 549 कुल किता 5 कुल रकबा 0.6393 हैक्टेयर के सहखातेदार से अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से उसका 1/16 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से उसका 1/8 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए दिनांक 01.09.2025 को 5,00,000/— पांच लाख रूपया के प्रतिफल में अपीलान्ट ने खरीद कर विक्रेता खातेदार से भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त किया तब से इस क्रय सुदा भूमि पर विक्रेता खातेदार / रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के बजाय अपीलान्ट (क्रेता) का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त क्रयसुदा भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर अमल दरामद करने के लिए विक्रय पत्र पटवारी हल्का नामरी को दिया जिस पर पटवारी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2258 भरा और रिपोर्ट कर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने [illegible] सभा में पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण पर यह [illegible] लगाते हुए निरस्त कर दिया कि नोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:49 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नामांतरण बाबत् न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय द्वारा स्थगन जारी हुआ है का तथ्य ग्राम पंचायत की कोरम में संज्ञान में आया है अतः उक्त नामांतरण बाबत् न्यायालय से स्थगन होने से अस्वीकृत कर खारिज किया जाता हैं।

2. निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का कथित आदेश न्याय एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण को खारिज करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले को आधार बनाकर एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को नजरन्दाज करते हुए नामान्तरकरण खारिज नही जा सकता है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आधारहीन टिप्पणी करते हुए नामान्तरकरण खारिज किया गया है जिससे कथित आदेश अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को समझा ही नही है। अधिनस्थ न्यायालय को स्थगन होने या नही होने का बिन्दू तय करने का कोई अधिकार नही है। खातेदारान से उनके स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की कृषि भूमि को अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदा है और भौतिक रूप से जहां विक्रेता खातेदारान का कब्जा था उस जगह अपीलान्ट का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है ऐसी स्थिति में कथित बिन्दू के आधार पर नामान्तरकरण को खारिज किया जाना न्यायसंगत नही है। पटवारी हल्का ने भी सम्पूर्ण तथ्यों की जाँच कर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मनमाफिक ढंग से नामान्तरकरण पर इस प्रकार का अंकन कर नामान्तरकरण को खारिज कर दिया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को समझा ही नही है और नामान्तरकरण खारिज करने में भारी भूल की है जिससे जैर बहस अदालत का आदेश अपास्त होने योग्य है। दिनांक 14.10.2025 को अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने खाते हुई भूमि की नकल लेने के लिए गया तो पटवारी ने बताया कि दिनांक 09.10.2025 को ही ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण को खारिज कर दिया जिस पर अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से कथित नामान्तरकरण की नकल ली तो पता चला कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 14.10.2025 को ही नामान्तरकरण खारिज कर दिया है, इससे पूर्व मुझ अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:49 IST
Reason: SelfAttested

को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी। जानकारी होते ही अपीलान्ट की ओर से अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही हैं।

3. अंत में निवेदन किया की अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर जैर बहस आदेश दिनांक 09.10.2025 अपास्त फरमाया जावें एवं अपील में वर्णित हिस्सा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेंटगण की और से अधिवक्ता श्रीमती लाजवंती जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 2258 दिनांक 09.10.2025 को ग्राम पंचायत नामरी द्वारा निर्णित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत नामरी का नामान्तरकरण संख्या 2258 दिनांक 09.10.2025 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पटवारी पटवार हल्का नामरी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ग्राम पंचायत नामरी द्वारा उक्त नामान्तरकरण में यह अंकित किया गया है कि उक्त नामान्तरकरण बाबत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय द्वारा स्थगन जारी हुआ है। तथ्य ग्राम पंचायत की कोरम में संज्ञान में आया है। अतः उक्त नामान्तरकरण बाबत न्यायालय में स्थगन होने से अस्वीकृत कर खारिज किया जाता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि यदि ग्राम पंचायत के समक्ष यह तथ्य आया की उक्त नामान्तरकरण में स्थगन जारी है तो इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट को भी सूचना पत्र जारी कर सुनना चाहिए था। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट को सुनकर निर्णय पारित करता तो निश्चय ही उक्त भूमि के संबंध में स्थगन जारी है या नही यह तथ्य वास्तविक रूप से ग्राम पंचायत के समक्ष आता। ग्राम पंचायत द्वारा केवल मात्र मौखिक कथन किया गया है कि उक्त नामान्तरकरण पर स्थगन है इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज संलग्न नही किया गया। ना ही प्रकरण संख्या एवं स्थगन दिनांक का उल्लेख किया गया। इस प्रकार मौखिक कथन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिए था। न्यायालय का यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:49 IST
Reason: SelfAttested

मानना है कि यदि उक्त नामान्तरकरण पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन होना संज्ञान में आया है तो इस संबंध में प्रस्तुत सभी साक्ष्य संलग्न कर तहसीलदार को स्थानान्तरण करना चाहिए था। क्योंकि विवादित नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में स्पष्ट अंकित किया गया है कि यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवधि विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा।

इस प्रकरण में भी ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था। तहसीलदार को उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर हितबद्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने के पश्चात ही नामान्तरकरण निर्णित करना चाहिए था। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत नामरी के नामान्तरकरण संख्या 2258 में दिनांक 09.10.2025 को पारित निर्णय अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में स्थगन है या नही ? इस तथ्य की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:49 IST
Reason: SelfAttested